व्यापम द्वारा दिव्यांगजन को दी जा रही सुविधायें निम्नानुसार है :–

1. दिव्यांगजन को व्यापम भवन में आवागमन में सुविधा हेतु रैम्प का निर्माण किया गया है एवं लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है।
2. व्यापम द्वारा आयोजित समस्त भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में जो छूट शासन द्वारा प्रदान की गई है, वही छूट दिव्यांगजनों को भी दी गई है।
3. व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में दृष्टिहीन एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों को परीक्षाओं में लिखने हेतु राईटर की अनुमति दी जाती है एवं दिव्यांगजनों के आवश्यकता अनुरूप आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। परीक्षा केन्द्रों में दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को चिन्हांकित कर भूतल वाले कक्ष में रोल नम्बर दिये जाने तथा अतिरिक्त वीक्षक की निगरानी में अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश परीक्षा संचालन निर्देशिका के पृष्ठ – 11 निर्देश क्रमांक 19 में व्यापम द्वारा केन्द्राध्यक्षों को दिये गये हैं।
4. व्यापम की **Website - cgvyapam.choice.gov.in** को दिव्यांजनों के लिए बाधारहित करने हेतु दिनांक 24.05.2018 को पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रकाशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन, रायपुर छ.ग. को प्रेषित की गई है।
5. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में दिव्यांगजनों की पृथक मेरिट सूची तैयार की जाती है।
6. दिव्यांगजन परीक्षार्थियों की पंजीयन का पृथक से डाटाबेस संधारित किया जा रहा है।
7. शासन के नियमानुसार विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगजन के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
8. दिव्यागजनों के शिकायत निवारण हेतु व्यापम में डॉ. भारती यजुर्वेदी सहायक नियंत्रक को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
9. दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण हेतु पृथक पंजी संधारित की जा रही है।

(डॉ. प्रदीप चौबे)
सलाहकार
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
अटल नगर, जिला रायपुर